न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– सुरेश चौधरी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
36 / 2023 / प्रा.पत्र / 2023	14.06.2023	05.07.2024

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन निवासी पुरानी सब्जी मण्डी निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ.मैसर्स प्रेमचन्द एण्ड कम्पनी प्रताप स्टेडियम के पास, सरस्वती स्कूल की गली, झिलाई रोड निवाई जिला टोंक। पिनकोड–304021मोबाईल नं0 9460666278।

2– मैसर्स प्रेमचन्द एण्ड कम्पनी प्रताप स्टेडियम के पास, सरस्वती स्कूल की गली, झिलाई रोड निवाई जिला टोंक। पिनकोड–304021

3–श्री गिरिराज प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री छंगा लाल निवासी 287 विश्वकर्मा नगर प्रथम, महारानी फार्म, दुर्गापुरा जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स वैभव ट्रेंडिग कम्पनी जी–11 राजधानी कृषि उपज मण्डी कूकरखेडा सीकर रोड जयपुर राज0। पिनकोड–302013

4–मैसर्स वैभव ट्रेंडिग कम्पनी जी–11 राजधानी कृषि उपज मण्डी कूकरखेडा सीकर रोड जयपुर राज0। पिनकोड–302013

5–श्री बुद्धवीर सिह पुत्र श्री थान सिंह निवासी राज पुष्प नगर कॉलोनी सिरे मन्दिर रोड जालोर प्रोपरायटर मैसर्स जय मॉ आशापुरी एजेन्सी पंचायत समिति के पास बागौडा रोड जालौर राज0। पिनकोड–343001

6– मैसर्स जय मॉ आशापुरी एजेन्सी पंचायत समिति के पास बागौडा रोड जालौर राज0। पिनकोड–343001

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii). (v) एवं दण्डनीय धारा 51,52व 58(सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री दिनेश कुमार शर्मा उप.।

:–निर्णय–: **दिनांक 05.07.2024**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनाक 15.09.2022 को समय 03:30पी.एम. मैसर्स प्रेमचन्द एण्ड कम्पनी प्रताप स्टेडियम के पास, सरस्वती स्कूल की गली, झिलाई रोड़ निवाई जिला टोंक पर पहुंचा वहां पर खाद्य कारोबरकर्ता एवं विक्रता की हैसियत से श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स प्रेमचन्द एण्ड कम्पनी प्रताप स्टेडियम के पास, सरस्वती स्कूल की गली, झिलाई रोड निवाई जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ गुड, तेल, घी मसाले, रिफाईड पाम ऑयल व अन्य खादय प्रदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री मुकेश कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड, तेल, घी मसाले के साथ–साथ दुकान की रैक में पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 500–500 एम.एल. पैक **घी (जय किशना ब्राण्ड)** रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री मुकेश कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की। जिस पर श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने स्वयं के हस्ताक्षर कर तस्दीक किया । दुकान की रैंक में पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 500–500 एम.एमल. पैक में से **घी (जय किशना ब्राण्ड)** के बैच नम्बर 46 एवं पैकिंग की दिनांक सितम्बर, 2022 थी, ज्यों का त्यों पैक्ड अवस्था में 500–500 एम एल. पैक के 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच में खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी (जय किशना ब्राण्ड)** के 4 मूल पैक प्रत्येक 500–500 एम एल. पैक ज्यों का त्यों मूल अवस्था में अलग–अलग बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3272 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3272 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक एवं राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन निवासी पुरानी सब्जी मण्डी निवाई जिला टोंक ने मौके पर बतोर वारन्टी मैसर्स वैभव ट्रेंडिग कम्पनी जी–11 राजधानी कृषि उपज मण्डी कूकरखेडा सीकर रोड जयपुर राज0 ने का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। आवेदक द्वारा मैसर्स वैभव ट्रेंडिग कम्पनी जी–11 राजधानी कृषि उपज मण्डी कूकरखेडा सीकर रोड जयपुर को पत्र प्रेषित करने पर उसने मैसर्स जय माँ आशापुरी एजेन्सी पंचायत समिति के पास बागौडा रोड जालौर राज0 का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/3431 दिनांक 07.10.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./2777/एक्ट/2022 /2807 दिनांक 28.09.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **घी (जय किशना ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के रेगुलेशन नं0 2.3.7(2) के अनुसार कॉन्ट्रावेन(**Contravene**) व खांद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

2011 के अनुसार **अवमानक(Sub-standard)** एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(i)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री दिनेश कुमार शर्मा उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी निर्धारित प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है।उक्त घी में किसी भी तरह का बाह्य पदार्थ नहीं मिलाया गया है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **घी (जय किशना ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **कॉन्ट्रावेन(Contravene), अवमानक(Sub-standard) एवं मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 ,52 व 58(सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया**घी (जय किशना ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **कॉन्ट्रावेन(Contravene). अवमानक(Sub-standard) एवं मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) (v) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51,52व 58(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 05.07.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(सुरेश चौधरी)
न्याय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0